न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 270/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. गंगाराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी– नेवरा, तहसील, ओसियॉ जोधपुर।		1. उर्जाराम पुत्र समाराम 2. बरजूदेवी पत्नी समाराम जाट निवासी–नेवरा, तहसील, ओसियॉ जोधपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ओसियॉ, जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.2020 जो राजस्व प्रकरण संख्या 32/2020 अनवान उर्जाराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री उम्मेदसिंह बावरला, रमेश भादू, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री हरिसिंह राजपुरोहित, रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24 नवम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने एक अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ग्राम नेवरा तहसील ओसिया में स्थित कृषि भूमि ख0सं0 1178 रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में आई हुई है जो पक्षकारान की आपसी सहमति से विभाजन किया जाकर नामा0 संख्या 1971 स्वीकार कर अलग–अलग खाते में दर्ज करवा दिये, जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के हिस्से में ख0सं0 1178/2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा तथा अपीलान्ट के हिस्से में 1178 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा रखा गया एवं नामा0 की पुश्त पर विभाजन में वर्णित अनुसार तरमीम की गई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस ऑन लाईन होने से उक्त खसरे अलग से दर्ज किये गये लेकिन तरमीम त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई। इसलिये ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। रेस्पो0 संख्या एक व दो के प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्ट एवं रेस्पो0 3 तहसीलदार कार्यालय ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह पेश किया कि पक्षकारान जिस प्रकार से मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे, उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा विभाजन किया गया है एवं उक्त की गई तरमीम सही है जिसके अनुसार राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से जल्दबाजी में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पक्षकारान के हुए

विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.5.2015 के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्ती किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पो० संख्या 1 व 2 आपस में वादग्रस्त भूमि के मौके व कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा हो चुका है उसी अनुसार वर्तमान में अपीलान्ट अपने हक–हिस्से में काबिज है तथा पक्षकारान की आपसी सहमति से ही आवागमन हेतु रास्ते की भूमि छोडी गई है। वर्तमान में अपीलान्ट के कब्जे काश्त वाली भूमि पर फसल बोई हुई है एवं उनकी ढाणियां, बाडे इत्यादि बने हुए जिस कब्जे के अनुसार ही राजस्व कार्मिकों ने राजस्व अभिलेख में तरमीम की गई परन्तु रेस्पो0 संख्या एक ने अपीलान्ट को तंग व परेशान व खर्चे से जैर–बार करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। पक्षकारान अपने कब्जे वाली भूमि पर वर्षो से काबिज है तथा अपीलान्ट का रहवासीय मकान बना हुआ है व परिवार सहित निवासरत है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन के समय वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्रस्तुत किया जो नामा0 संख्या 1971 स्वीकार किया गया व पुश्त पर वही सहमति वाला नक्शा बनाया हुआ है और उसी अनुसार ऑनलाईन तरमीम की हुई है जो मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट वर्णित है कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड व लटठा ट्रेस नक्शा में उक्त बंटवाडा दस्तावेज मौका काश्त के अनुसार ही तरमीम की हुई, तारबन्दी, बाडा मकान इत्यादि बने हुए है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट में ऑनलाईन तरमीम मौके पर काबिज व सहमति से बंटवाडा अनुसार सही की गई है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना व मौका रिपोर्ट, मौका स्थिति को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की इससे जानकारी पूर्व में नहीं थी क्योंकि उनके अधिवक्ता के द्वारा आदेश की जानकारी नहीं दी। दिनांक 26.5.2022 को अपीलान्ट के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त प्रकरण की जानकारी चाही तब उनके अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में तो फैसला हो गया है जिसकी जानकारी होते ही उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अन्दर मियार अपील प्रस्तुत की है जिसमें म्याद का बिन्दू माफ किया जाकर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब, म्याद प्रार्थना पत्र का जवाब एवं अपील की लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जानबूझ कर देरी से पेश की है, क्योंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार था एवं उसके द्वारा अपना

अतः अपीलान्ट की अपील अत्यधिक म्याद बाहर होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट के स्थगन प्रार्थना पत्र में मनगढत तथ्य अंकित किये गये है, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है चूंकि आपसी बंटवाडा अनुसार उस पर लिखित बंटवाडा नक्शा अनुसार राजस्व कार्मिकों के द्वारा रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जाकर त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई है।

रेस्पो0 सख्या एक व दो की ओर से यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अप्रार्थीगण के रहवास को अपीलान्ट को बताकर बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है व उन्हें परेशान व तंग किया जा रहा है। चूंकि रेस्पोडेन्टस मानसिक विकलांग है तथा उसका फायदा उठाया जाकर अपीलान्ट द्वारा उन्हे घरबदर कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थीगण के नलकूप को भी दस्तावेजों की कूटरचना कर व फर्जीवाडा कर हडप ली है एवं उनके रहवास व आवास को हडपने पर आमदा है। राजस्व कार्मिकों द्वारा भी रास्ते को भी रिकार्ड में बंटवाडा से ईतर जाकर तरमीम किया गया है एवं त्रुटिपूर्ण अमल दरामद किया गया है। इस बाबत उनकी ओर से उच्चाधिकारियों की शिकायते पेश की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो उचित पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक व दो को आपसी बंटवाडे में निर्धारित रास्ते का उपयोग व उपभोग भी नहीं करने दिया जा रहा है तथा लडाई झगडा व गाली गलौच की जाकर अप्रार्थीगण को परेशान किया जा रहा है जिससे अप्रार्थीगण अपने दूर के रिश्तेदारों के वहॉ रहने व दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर है तथा भारी असुविधा का सामना करना पडा रहा है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में अंकित तथ्य झूठे व बेबुनियाद व असत्य आधारों पर प्रस्तुत की है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा अपील को देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है जबकि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण का प्रतिवाद किया गया है एवं अदालत में हाजिर रहे है जिससे उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी भलीभांति रही है और उनके द्वारा जानबूझ कर अपील देरीना प्रस्तुत की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि पक्षकारान के मध्य हुए आपसी बंटवाडा नक्शा अनुसार राजस्व कार्मिकों के द्वारा रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जाकर ईतर जाकर तरमीम की गई है जो त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई है तथा जवाब में अप्रार्थीगण के पैतृक रहवास व आवास को अपीलान्ट का बताया जाकर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं लिखित कथनों के आधार पर अपीलान्टस अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया के अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो उचित होने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उपस्थित अपीलान्टस अधिवक्ता की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 का इत्यादि का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के सम्बन्ध में कथन किया कि दिनांक 26.5.2022 को अपीलान्ट के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त प्रकरण की जानकारी चाही तब उनके अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में तो फैसला हो गया है जिसकी जानकारी होते ही अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करते हुए उनके द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है जिसमें म्याद का बिन्दू माफ किया जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा वर्णित उक्त कथनों के आधार पर यह अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा संख्या 1178/2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि की ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त की जाकर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.05.2015 के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार ओसियॉ को आदेशित किया गया है जो उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर